छत्तीसगढ़ राज्य की प्रस्तावित शालेय शिक्षा नीति

भाग 1 – भूमिका

1.1 01 नवंबर 2000 को अपनी स्थापना के साथ ही नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य ने एक नवीन युग में प्रवेश किया, जहाँ उसके समक्ष नई चुनौतियां हैं, तो नये अवसर भी हैं। राष्ट्र की प्रगति और मुख्य धारा के साथ कदम मिलाकर चलना जहाँ छत्तीसगढ़ जैसे छोटे व नवीन राज्य के लिए चुनौती है, वहीं अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाये रखकर अपने विपुल संसाधनों के समुचित उपयोग से विकास की एक नई गाथा लिखने का अवसर भी है।

नई चुनौतियों को स्वीकार कर विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु व्यक्ति, समाज व राज्य में क्षमताओं के संवर्धन का सबसे प्रमुख दायित्व शिक्षा का है।

1.2 विश्व उद्योग जगत के एक शिखर पुरूष का कथन है “गरीबी में जन्म लेना अपराध नही, गरीबी में रहते हुए मर जाना अपराध है।” हमारी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य राज्य मे व्यक्ति को न केवल आर्थिक, वरन सभी दृष्टियों से इस तरह सक्षम बनाना होगा, कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान एवं समृद्धि के साथ जी सके।

“भावी पीढ़ी के बच्चे ब्रम्हांड के खिलाड़ी हों तथा संपूर्ण विश्व उनके लिए अवसरों का मैदान हो।’’

इस तरह की क्षमता छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों मे उत्पन्न करना सर्वोच्च शैक्षिक प्राथमिकता होगी ताकि वे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बना सकें।

भाग – 2 वर्तमान परिदृश्य

राज्य की आबादी का एक बडा हिस्सा शैक्षिक दृष्टि से अभी भी पिछडा हुआ है,जिसमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या अधिक है। शासन द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य प्रयासों से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु अधोसंरचना विकसित कर ली गई है। इस स्तर पर कुछ विकासखण्डों तथा जिलों में बच्चों की अनुपस्थिति मुख्य समस्या है। वर्ष 2007–08 में 8वीं कक्षा में 4.64 लाख बच्चे पढ़ रहे थे और 9वीं कक्षा में 2.52 लाख। मोटे तौर पर कहें तो 2.12 लाख बच्चे आठवी के बाद स्कूल छोड़ रहे थे। राज्य भर में मैपिंग से पता चला है,कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार भी पर्याप्त संख्या में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। यदि एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत माने तो राज्य में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले 6 लाख बच्चों के लिए लगभग 15000 स्कूलों की आवश्यकता होगी। किसी भी स्थिति में अगले कुछ वर्षों में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों की क्षमता दुगुनी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार ग्यारहवीं कक्षा में 1.26 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अतः इनकी क्षमता तिगुनी करनी पड़ेगी।

पूरे देश में एक ओर उच्च गुणवत्ता प्राप्त युवाओं की किल्लत है, दूसरी ओर शिक्षित युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता, कौशल तथा आत्मविश्वास वाले युवा तैयार करने में असफल रही है जो भारत की तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक प्रगति में हाथ बंटा सकें तथा आनंद पूर्वक जीवन जी सकें। हमारे युवा भी अन्यों की तरह अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हैं। उनमें अपने जीवन को पूर्णता में देखने की समझ निर्माण करने की आवश्यकता है।

राज्य में शिक्षा का प्रचार–प्रसार 90 के दशक में तेजी से हुआ। प्रौढ़ साक्षरता अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) का इसमें प्रमुख योगदान रहा हैं। जब शुरूआत के दिनों में स्कूलों का प्रसार

बढ़ा तब बहुत से बच्चे 5वीं कक्षा के पूर्व स्कूल छोड़ दिए। नवसाक्षर भी केवल साक्षर हैं। इन दोनों वर्गों में शिक्षा को अपने जीवन की बेहतरी के लिए उपयोग करना कठिन कार्य है। ज्ञात हो कि राज्य की साक्षरता दर 1991 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65 प्रतिशत हो गई थी। इन नवसाक्षरों की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने हेतु बड़े पैमाने पर समतुल्यता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

राज्य में शिक्षकों की संख्या भी गत 4 वर्षो में दुगुनी हो गई है। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के बाद लगभग 60 प्रतिशत नवनियुक्त शिक्षक होंगे। इनमें से अधिकांश अप्रशिक्षित हैं। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने की बहुत आवश्यकता है, इसके बिना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना तथा बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना असंभव है। इसी प्रकार नए रोजगार के अवसर अंग्रेजी में अधिक उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए पूरे राज्य में अंग्रेजी सुधार अभियान की भी आवश्यकता है।

राज्य की सामान्य जनता स्कूली व्यवस्था को स्वयं से अलग मानती है। शासकीय स्कूलों के प्रति विशेष रूप से यह धारणा दिखती है। अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने की ललक, कुछ जिलों मे परीक्षा में नकल कराने को अभिभावकों का मिलने वाला प्रश्रय इस बात का द्योतक है। शिक्षा के बारे में समाज में सही समझ विकसित करने तथा स्कूलों का स्वामित्व स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है। इससे शिक्षा व्यवस्था को व्यक्तित्व तथा प्रतिभा संपन्न स्थानीय व्यक्तियों का लाभ मिल सकेगा। निजी तथा शासकीय साझेदारी (Public Private Partnership) को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

वर्तमान परिदृश्य के समग्र आकलन से यह स्पष्ट है, कि राज्य मे मे अभी भी शिक्षा के क्षेत्र मे बहुत कुछ किया जाना शेष है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है। इन संभावनाओं को यथार्थ में परिणित करने हेतु व्यवस्थित ढंग से राज्य के संदर्भ में प्रयास करने होंगे।

भाग 3 . **Vision Document**

Vision (दृष्टि) –

''सुघ्घर शिक्षा सब्बो बर'' अर्थात सबके लिए अच्छी शिक्षा

(Good Education for All)

''सुघ्घर शिक्षा'' से तात्पर्य अच्छी शिक्षा से है। अच्छी शिक्षा मे गुणवत्ता निहित है। गुणवत्ता – निष्ठा, प्रतिभा एवं परिश्रम के गहन निवेश से उपलब्ध उत्पाद होती हैं। एन.सी.एफ 2005 के अनुसार ''गुणवत्ता, किसी व्यवस्था की इस क्षमता की परिचायक है, कि वह स्वयं में सुधार कर कमियों को दूर करे और नई क्षमताओं का विकास करे।''

राज्य की शिक्षा नीति में इस तरह के प्रावधानों व प्रयासों पर बल दिया जायेगा कि प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता लायी जा सके। बच्चों के व्यक्तित्व तथा प्रतिभा के संतुलित उदय की प्राप्ति ही लक्ष्य होगी।

अच्छी शिक्षा **''सब्बो बर''** अर्थात सब के लिए होगी। शिशु शिक्षा से प्रौढ़ शिक्षा तक सभी के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास राज्य की शिक्षा नीति द्वारा किये जायेंगे।

Mission (लक्ष्य) –

1. 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा (6 से 14 वर्ष) एवं 2015 तक माध्यमिक शिक्षा (15 से 16 वर्ष) की द्वार–द्वार और जन–जन तक पहुंच।
2. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि एवं सर्वांगीण विकास। इस तरह की गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध हो कि नई पीढ़ी आत्मविश्वास से समृद्ध हो और रोजगार के ढेर सारे विकल्प उनके लिए खुले हों।

3. प्रत्येक विद्यार्थी को अखंड समाज के भागीदार के रुप मे प्रतिष्ठित करना। सह.अस्तित्व की चेतना के प्रकाश में समस्त प्रकार की वर्ग भावनाओं को मानवीय चेतना में परिवर्तित करना।

Objective (उद्देश्य) –

1. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति।
2. शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता प्राप्ति। स्कूल से लेकर राज्य स्तरीय संस्थाओं की प्रभाविता।
3. 2012 तक 15 से 35 आयु समूह मे शत् प्रतिशत् साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति।
4. जीवन मूल्यों एवं मानवीय सहअस्तित्व का विकास।
5. दक्षताओं, कौशलों व तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास।
6. संसाधनों का समुचित उपयोग।
7. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना।
8. समस्त प्रकार के वर्ग भेद से ऊपर उठकर सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।

भाग 4 – पृथक शालेय शिक्षा नीति

4.1 संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति को आधार मानकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई है।

4.2 भौगोलिक विविधता के कारण राज्य की शिक्षा के विकास में बहुत सी बाधाएँ आई हैं, अतः स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा का नियोजन आवश्यक है।

4.3 राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विविध दक्षताओं और कौशलों के विकास के लिए एक स्पष्ट नीति का होना आवश्यक है।

4.4 शालेय शिक्षा के व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से अलग पृथक शालेय शिक्षा नीति का होना आवश्यक है।

4.5 शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में शालेय शिक्षा आधार स्तंभ है।

4.6 पिछड़ेपन को दूर कर शैक्षिक प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

भाग 5 – केन्द्र के साथ व्यापक सहभागिता

5.1 संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, अतः केन्द्र और राज्य दोनों की भूमिका शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से केन्द्र के साथ व्यापक सहभागिता आवश्यक है।

5.2 राज्य द्वारा भी केन्द्र के प्रयासों में संपूर्ण सहयोग करते हुए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया जावेगा।

5.3 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अलग से नीति बनाई जायेगी।

भाग 6 – विषमताओं को दूर करने के लिए शिक्षा

6.1 राज्य में सामाजिक, आर्थिक, शहरी–ग्रामीण, जातिगत सभी स्तरों पर विषमताएँ दिखती हैं। शिक्षा द्वारा सभी स्तरों पर विषमताओं को दूर कर सभी को विकास के समान अवसर प्रदान कराने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

6.2 **बालिकाओं की समानता हेतु शिक्षा –**

- बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य में शिक्षा को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जावेगा।

- बालक बालिका समानता के लिए सह शिक्षा को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेंगे।
- बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को अभिप्रेरित करने तथा पालकों की जागरूकता के लिए कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।
- विद्यालयों मे बालिकाओं के हित के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के लिए विद्यालयों को प्रेरित किया जावेगा।
- प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने व उनके शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किये जायेंगे। इसके लिए वर्तमान योजनाओं को निरंतर जारी रखने के साथ ही प्रोत्साहन हेतु आवश्यकतानुसार नवीन योजनाएं शुरू किये जायेंगे।

6.3 अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा –

- अनुसूचित जाति व जनजाति को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेगें।
- छात्रहित की विभिन्न हितकारी प्रावधानों को जारी रखा जावेगा तथा विभिन्न स्तरों पर इसका विस्तार किया जावेगा।
- अनु. जाति व जनजाति के बच्चों के स्कूल में नामांकन, अप्रवेशी व शाला त्यागी बच्चों की सतत् मानिटरिंग व रूकावटों को दूर करने की व्यवस्था की जायेगी।
- आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक विशिष्टताओं को बनाये रखने हेतु शिक्षा के माध्यम से हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
- छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी अनुसूचित जातियों जैसे कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान किये जायेगें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी विशेष शैक्षिक प्रावधान किये जायेंगे।

6.4 अल्प संख्यक वर्ग की शिक्षा –

- संविधान द्वारा इस वर्ग की भाषा और संस्कृति के संरक्षण करने, शैक्षिक संस्थाएँ खोलने व चलाने के जो अधिकार दिये गये हैं, उनके अनुरूप व्यवस्थाएँ की जायेंगी।
- मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसों तथा उर्दू माध्यम की शालाओं का संचालन करते हुए मुख्य धारा से जोडने के कार्य तेज किए जायेंगे।

6.5 विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों की शिक्षा –

- इन बच्चों की शिक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्थाएँ की जायेंगी ताकि हीन भावना से परे हटकर उनमें समझ और कौशल का विकास हो सके।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- सामान्य विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो सके, इस हेतु समावेशी शिक्षा को अधिक कारगर ढंग से लागू किया जावेगा।
- इन बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा रोजगार मूलक शिक्षा के प्रावधान किये जायेंगे।
- शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा, ताकि वे इन बच्चों की अंर्तनिहित क्षमताओं व वैकल्पिक योग्यताओं का विकास कर सकें।
- इन बच्चों की शिक्षा हेतु समुदाय से सहयोग तथा स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जावेगा।

6.6 प्रौढ़ शिक्षा –

- 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की साक्षरता हेतु संपूर्ण साक्षरता अभियान पर बल दिया जायेगा तथा इस आयु वर्ग की साक्षरता राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरुप लाई जायेगी।

- साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी के समन्वित प्रयास पर बल दिया जायेगा। विशेष रुप से ''प्रत्येक जन एक पढ़ाओ योजना'' चलाई जायेगी।
- उक्त आयु समूह के सभी व्यक्ति पांचवी की परीक्षा तथा अधिकांश आठवीं उत्तीर्ण हो, इस हेतु कार्य किए जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय व वाचनालय की स्थापना तथा सतत् पुस्तक वाचन परंपरा को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे। राज्य के सभी प्रौढ़ों मे सतत् जीवन भर सीरवने की परंपरा डाली जायेगी।
- प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु आवश्यकता व रूचि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।
- संपूर्ण साक्षर गांव कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

भाग 7 – विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की व्यवस्था

7.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति व एन.सी.एफ.2005 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को समेकित किये जाने की आवश्यकता है। इससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में मदद मिलेगी।
- राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की एक अलग राज्य नीति तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा व शिशुओं की देखभाल से संबद्ध विभागों में समन्वय स्थापित कर बेहतर परिणाम प्राप्त करने की योजना है।

7.2 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा –

- संविधान के अनु. 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान किये गये हैं। सन् 2002 में 86 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब यह बच्चों का मौलिक अधिकार हैं और सरकार इसके लिए

पक्की व्यवस्था करेगी। तदनुरूप राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

- प्राथमिक स्तर पर बाल केन्द्रित व गतिविधि आधारित शिक्षा हो, इसकी व्यवस्था की जावेगी। एन.सी.एफ. 2005 के दिशा निर्देशों के अनुरूप बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अधिगम संवर्धन तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किये जावेंगे।
- कुछ स्कूल वैकल्पिक पद्धति से शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर नीति के अनुरूप नियम व दिशा निर्देश तय किये जायेंगे तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुमति दी जावेगी। इन स्कूलों की शैक्षिक प्रगति की सतत् मानिटरिंग भी सुनिश्चित की जायेगी।

7.3 अनौपचारिक शिक्षा –

- अप्रवेशी, शाला त्यागी एवं नव साक्षरों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जावेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय ओपन स्कूल की तर्ज पर राज्य ओपन स्कूल खोले जावेंगे।
- घुमन्तु वर्ग के बच्चों, कामकाजी बच्चों तथा विशिष्ट व्यवसायों में नियोजित बच्चों को उनके कार्यस्थल तथा उनके लिए सुविधाजनक व उपलब्ध समयानुसार शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रावधान किये जायेंगे। इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु वैकल्पिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जायेगी। वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के लिए ब्रिज–कोर्स का निर्माण किया जायेगा।

7.4 माध्यमिक (सेकेंडरी) शिक्षा –

- सुदूर ग्रामीण अंचलों तक भी माध्यमिक शिक्षा का प्रसार इस तरह किया जायेगा ताकि ग्रामीण बच्चों को माध्यमिक शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके। इस हेतु हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ाई जायेगी।

- समाजसेवी संस्थाओं, समूहों, समितियों, पंचायतों, NGOs व व्यक्तिगत आवेदन पर हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए शासन द्वारा अनुदान दिये जायेंगे तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु अलग से नीति बनाई जायेगी।
- माध्यमिक शिक्षा को जीवनोपयोगी व रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा के नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जावेंगे। व्यावसायिक शिक्षा नीति बनाई जावेगी।
- छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तकों के स्तर एवं प्रश्नपत्रों के स्वरुप को सी.बी.एस.ई. के समतुल्य बनाया जावेगा।
- बच्चों के समग्र विकास हेतु स्कूलों में अध्ययन के साथ–साथ पाठ्येत्तर गतिविधियाँ तथा बच्चों मे अधिगम के साथ–साथ सेवा भाव के विकास हेतु प्रोजेक्ट आधारित स्व–अधिगम को बढ़ावा दिया जायेगा।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय के एक हायर सेकेंडरी स्कूल को माडल स्कूल के रूप में तथा प्रत्येक विकासखंड के एक हायर सेकेंडरी स्कूल को ग्रामीण उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिये मापदंड तय किये जायेंगे।

भाग – 8 संसाधनों का समुचित उपयोग

8.1 मानवीय संसाधन –

- किसी संस्था के वार्षिक बजट का 90 प्रतिशत से अधिक लागत व्यय मानवीय संसाधन पर होता है, अतः इनकी निंरतर गतिशीलता सुनिश्चित की जायेगी।
- शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर मानवीय संसाधनों की प्रतिभा व कौशल के समुचित उपयोग व क्षमता वृद्धि हेतु मानव संसाधन प्रबंध नीति का निर्माण किया जायेगा।

- प्रशासकीय अधिकारियों व संस्था प्रमुखों की दक्षता वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। इन्हें प्रशासनिक के साथ साथ अकादमिक प्रशिक्षण भी दिये जायेंगे।
- परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठाने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता के विकास हेतु सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षणों की वर्तमान व्यवस्था को अधिक कारगर व प्रभावी बनाया जायेगा।
- शैक्षिक समस्याओं पर केन्द्रित लघु अवधि के विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।
- एस.सी.ई.आर.टी, ई.एल.टी.आई. एवं सीमेट जैसी राज्य स्तरीय अकादमिक संस्थाओं की क्षमता वृद्धि हेतु कारगर प्रयास किये जायेंगे।
- शिक्षकों मे स्वमूल्यांकन, स्वशिक्षा, स्वाध्याय तथा स्वयोग्यता वृद्धि को प्रेरित करने हेतु योजनाएँ बनायी जायेंगी।

8.2 भौतिक संसाधन –

- अनुपातिक मानक के अनुरूप कमरे, प्रसाधन कक्ष, फर्नीचर, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला की व्यवस्था, पीने का पानी, विद्युतीकरण, स्कूल तक पहुंच मार्ग की व्यवस्था विद्यालयों के लिए अनिवार्यतः किये जायेंगे।
- वर्तमान में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के संरक्षण व समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- भौतिक संसाधनों की व्यवस्था व संरक्षण हेतु समुदाय से सहयोग लेने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

भाग– 9 विषय वस्तु, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

9.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य पाठ्यचर्या का निर्माण किया जायेगा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान किये जायेंगे।

9.2 संस्कृति तथा मूल्यों की शिक्षा –

- शिक्षा, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण तथा सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इस तरह की व्यवस्था की जायेगी।
- शिक्षा, राष्ट्रीय एकता की स्थापना तथा उत्तम नागरिकता की शिक्षा के लिए एक माध्यम बन सके, इस तरह के प्रयास किये जायेंगे।
- मूल्य ही सुनिश्चित करते हैं, कि अर्जित ज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा, अतः विभिन्न विषयों के साथ मूल्य शिक्षा को संबद्ध किया जायेगा।

9.3 समझ युक्त जीवन कौशल की शिक्षा –

- शिक्षा से अभी हम जो पा रहे हैं, वह कौशल है। शिक्षा समझ उत्पन्न करने में असफल रही है। समझ विकसित होने से कौशल का समुचित उपयोग हो सकेगा।
- प्रकृति और मानव के साथ तालमेल पूर्वक जीने की समझ बच्चों में उत्पन्न करने के लिए हमारी शिक्षा नीति विशेष प्रयास करेगी। इसके लिए प्राकृतिक संतुलन व सह अस्तित्व से संबंधित विषयवस्तु को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में समाहित किया जायेगा।

9.4 सूचना तकनीकी प्रशिक्षण एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी –

- सूचना क्रांति के इस युग में सूचना तकनीकी से संबंधित बातों की जानकारी सामयिक आवश्यकता है। इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विकसित कर विशेष प्रयास किये जायेंगे।

- शैक्षिक प्रौद्योगिकी की तकनीकों तथा विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग कर बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने की योजना बनाई जायेगी।

9.5 **पर्यावरणीय चेतना के लिए शिक्षा –**

- पर्यावरण के साथ मानव के संबंध एवं प्राकृतिक संतुलन के प्रति जागरूकता वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के प्रयास किये जायेंगे।

9.6 **गणित एवं विज्ञान की शिक्षा**

- गणित की शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। पाठ्यक्रम का इस तरह निर्माण किया जायेगा, कि बच्चों में तर्क, आकलन व विश्लेषण की क्षमता विकसित हो।
- विज्ञान के अध्ययन से जिज्ञासा के साथ–साथ समस्या के आकलन व सुलझाने के कौशल का विकास हो, इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे।

9.7 **भाषा–शिक्षण –**

- त्रिभाषा फार्मूले की व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।
- अंग्रेजी शिक्षण की स्पष्ट नीति के अभाव में राज्य के बच्चे इस विषय में पिछड़ जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं व उच्च कक्षाओं में उनकी यह कमजोरी परिलक्षित होती है, अतः प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी भाषा के अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की योजना बनायी जायेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व एन.सी.एफ. 2005 में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा बच्चे को घरेलू भाषा के माध्यम से ही दी जावे। तद्नुसार प्राथमिक स्तर की निचली कक्षाओं में क्षेत्रीय बोलियों में पाठ्य सामग्री तैयार की जायेगी।

- नवंबर 2007 में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अतः छत्तीसगढ़ी भाषा का अध्ययन प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारंभ कर इसके विस्तार की नीति बनाई जायेगी।

9.8 **कला एवं वाणिज्य विषयों की शिक्षा –**

- कला विषयों के अध्ययन से बच्चों की संवेदनशीलता, सामंजस्य क्षमता, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास तथा नवीन कलात्मक दृष्टिकोण का विकास हो, ऐसा प्रयास किया जायेगा।
- वाणिज्य विषयों के प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिये जायेंगे। हायरसेकेंडरी स्कूलों में वाणिज्य संकाय की स्थापना की जायेगी।

9.9 **स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा –**

- प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा को विविध विषयों मे सम्मिलित किया जायेगा।
- शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का प्रमुख अंग होने के साथ–साथ बच्चों की मूलभूत आवश्यकता है, अतः विद्यालयों मे खेलकूद को विशेष प्रोत्साहन तथा इस हेतु खेल के मैदान की उपलब्धता व आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय मे सुनिश्चित की जायेगी।
- योग भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। स्कूलों मे योग शिक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।

9.11 **मूल्यांकन व परीक्षा नीति –**

- केवल लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन की नीति के स्थान पर व्यापक मूल्यांकन एवं परीक्षा की नीति बनाई जायेगी। एन.सी.एफ. 2005 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन की नीति तैयार की जायेगी।
- अध्ययन के साथ–साथ विविध पाठ्येत्तर गतिविधियों के आधार पर स्कूलों का उनके द्वारा स्व मूल्यांकन की योजना भी बनाई जायेगी।

भाग – 10 सामुदायिक सहभागिता

- सामुदायिक सहभागिता का दृष्टि पत्र तैयार कर दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य तय किये जायेंगे।
- स्कूल को समाज की विविध सकारात्मक गतिविधियों का केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। समुदाय एवं पंचायतों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए योजना बद्ध कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।
- सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में स्कूल और समुदाय की भूमिका तय की जायेगी।
- पालकों को बच्चों एवं स्कूल के प्रति अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ पालकत्व के लिए राज्य से स्कूल स्तर तक जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।
- विद्यालयीन समितियों को प्रभावशाली सहभागिता हेतु तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इससे वे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो सकेंगे।
- शिक्षा के विकास में युवा व महिला समूहों की सशक्त भूमिका हो सकती है। शिक्षा के विकास में इनकी भागीदारी विशेषकर ग्रामीण अंचलों मे बढ़ाये जाने हेतु अभियान शुरू किये जायेंगे।
- पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक प्रत्येक स्तर पर समाज सेवी संस्थाओं, एन.जी.ओ. एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को और अधिक कारगर बनाया जायेगा।

भाग – 11 शैक्षिक शोध एवं नवाचार

- शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक चिंतन की निरंतरता आवश्यक है। इसके लिये कारगर प्रयास किये जायेंगे।
- निर्धारित दृष्टि ‘‘ सुघ्घर शिक्षा सब्बो बर ’’ की प्राप्ति के लिये प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

भाग – 12 समीक्षा

- शालेय शिक्षा नीति से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् मानिटरिंग की जायेगी तथा जिन लक्ष्यों व उद्देश्यों को लेकर शिक्षा नीति बनाई गयी है, उन्हें प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता मिली है, इसकी प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जायेगी।

– नीति एवं योजना विभाग,
प्रकोष्ट, सीमेट एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छ.ग.